प्रपत्र सं 4

विक्रय की उदघोषणा

(देखिए नियम 29 व 54)

न्यायालय खनि अभियंता (वसूली) खान एवं भू विज्ञान सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/वसूली/20/585 दिनांक 09-10-2020

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (राजस्थान एक्ट 15 आफ 1956 की धारा 230/235/237 के अधीन चूक करने वाले श्री **सरदाराराम, रमेश कुमार, मदनलाल व तेजाराम पुत्र श्री लादुराम भाट** निवासी **कलाली तहसील रोहट जिला पाली** द्वारा देय राजस्व लगाान कि बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनूसूची मे बताया गया है वसूल करने के लिए सलंग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई संपती के विक्रय के लिए इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई। विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची मे बताये गए समूहो (लाटस) मे संपति का विक्रय किया जायेगा।

स्थान की आज्ञा के अभाव मे विक्रय श्री स्वरूप सिंह गेहलोत, स.ख.अ. (अधिकारी का नाम बताया जाय) के द्वारा दिनांक 11.11.2020 को **दोपहर :–** 11.00 AM **बजे** कलाली ग्राम पंचायत भवन (विक्रय का स्थान बताया जाय) मे किया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रुप से या किसी यथा विधी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगााने के लिए आमंत्रित की जाती है। तथापि उपरोक्त चुक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी ना उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा दी गई स्पष्ट अनुमती के बिना बंध होगा।

विक्रय की अन्य शर्ते निम्नलिखित हैः–

1. निम्नलिखित अनुसूची मे निर्दिष्ट ब्यौरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गए है। परंतु इस उदघोषणा मे कोई त्रुटि गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय का उतरदायी नही होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढाई जायेगी विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी बोली की रकम या बोली लगाने वाले के संबंध मे किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा मे लाट को तुरंत नीलाम के लिए फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे उची बोली लगाने वाला किसी भी लाट का खरिददार घोषित किया जायेगा किन्तु हमेशा ष्ह शर्त रहेगी कि बोली लगाने के लिए बंधिक रुप से योग्य हो। और यह भी शर्त है कि सबसे ऊंची बोली को मंजूर करने से इन्कार करना उस हालत मे न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जब कि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रुप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित होगा।
4. सदैव कोड ऑफ सिवील प्रोसीजर के ऑर्डर 21 नियम 9 के प्रावधानो के अधिन अधिलिखित कारणो से विक्रय को स्थापित करना, विक्रय रिने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल संपति की दशा मे प्रत्येक लाट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने के तुरंत पश्चात चुका दिया जायेगा और भूगतान न करने पर संपति पर फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल संपति की दशा मे खरिददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात उसके ऋणमूल्य की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरंत जमा करा देगा और इस प्रकार न जमा कराने पर उस पर तुरंत फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय मे होने वाले खर्चे के लिए तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य मे होने वाली किसी कमी के लिए उतरदायी होगा जो कि उससे इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह राजस्व की बकाया हो।

(ख) खरिददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम संपति के विक्रय के प्श्चात पन्द्रहवे दिन न्यायालय बंद होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी जिसमे वही उिन शामिल नही होगा या पन्द्रहवें दिन रविवरी या अन्य छुटटी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के प्श्चात न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा कर दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि मे क्रय मूल्य की शेष रकम का भुगतान नही किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात संपति फिर से बेची जायेगी। विक्रय खर्चा निकालने के प्श्चात जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो किसी भी भाग पर जिसके लिए वह फिर से बेची जाय समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरिददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उसके इस प्रकार वसूल किया जायेगा कि जैसे वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारो से मूक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के संबंध मे खरिददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा पहले से की गई समस्त संविदाए नीलाम द्वारा किये जाने वाले विकय के समय खरिदने वाले के विकल्प पर शुन्य करणीय समझी जावेंगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) मे नीहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिए लागू नही होगी जो कि रहने के मकानो या फैक्ट्रीयो के निर्माण के लिए या बागो,तालाबो,नहरो, पूजा के स्थानो या श्मशान भूमियो या कब्रिस्तानों के लिए अस्थाई या स्थाई वास्तविक पटटों के अधीन धारणा की जा रही हो ऐसी भूमि ऐसे पटटों में निर्विष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी ।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) मे किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार विकय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि के धारक द्वारा जिसके मार्फत वह भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विकय किया जाय जैसा कि सरकार उचित समझे ।

अनुसूची – वसूली की जाने वाली रकम

1.	राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम	बकाया राशि रू. 1,32,55,266/–
2.	कुर्की का खर्चा	10/–
3.	विकय का , यदि सम्पति नीलाम नही की गई है तो अमीन की प्रति नियुक्ति का खर्चा	2000/–
	योग :–	1,32,57,276/–

बेची जाने वाली सम्पतिः–

समूह (प्लॉटों) की सं.	बेची जाने वाली सम्पति का विवरण	राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विकय की दशा में निर्धारित राजस्व	भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण (तुलनार्थ देखिये राज. एक्ट 15 आफ 1956 की धारा 236 की उप धारा (3)	दावे यदि कोई जो कि सम्पति के सम्बन्ध में रखें गयें हो और उसकी तथा मूल्य के सम्बन्ध में कोई भी अन्य ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5

क्र.सं.	बाकीदार का नाम	जाति	ग्राम	पट्टा संख्या
1.	सरदारराम पुत्र श्री लादुराम	भाट	चामुण्डा नगर, कलाली	27/2010–11–1650 वर्गफुट
2.	रमेश कुमारी पुत्र श्री लादुराम	भाट	चामुण्डा नगर, कलाली	29/2010–11–1572 वर्गफुट
3.	मदनलाल पुत्र श्री लादुराम	भाट	चामुण्डा नगर, कलाली	30/2010–11–1650 वर्गफुट
4.	तेजाराम पुत्र श्री लादुराम	भाट	चामुण्डा नगर, कलाली	28/2010–11–1650 वर्गफुट
5.	तेजाराम पुत्र श्री लादुराम	भाट	चामुण्डा नगर, कलाली	444/6 खसरा सं. 15 बीघा
6.	सरदारराम पुत्र श्री लादुराम	भाट	कलाली	188/3, 188/4 दो खसरे रकबा 6.10 बीघा में 1/3 भुमि
7.	सरदारराम पुत्र श्री लादुराम	भाट	कलाली	3655 वर्गफुट आवासीय भुखण्ड (नाप :– 44+42×82=3655)
8.	तेजाराम पुत्र श्री लादुराम	भाट	चामुण्डा नगर, कलाली	भुखण्ड सख्या 365 कॉलोनी नगर ग्राम रोहट नाप 25×50=1250 वर्गफुट

आज दिनांक 09-10-2020 नवम्बर 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर युक्त जारी की गई ।

09/10/2020

न्यायालय खनि अभियंता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग
ओ/सोजत सिटी जिला पाली
दिनांक 09-10-2020

क्रमांक खअ/सोजत/वसूली / 2019/585-595
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली ।
2. श्रीमान वित्तिय सलाहाकार महोदय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर ।
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर ।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कार्यालय रोहट जिला पाली ।
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय रोहट जिला पाली ।
6. पटवार हल्का कलाली तहसील रोहट जिला पाली ।
7. श्री सरदाराराम, रमेश कुमार, मदनलाल व तेजाराम पुत्र श्री लादुराम भाट निवासी कलाली तहसील रोहट जिला पाली ।
8. पुलिस थाना रोहट ।
9. खनि कार्यदेशक कार्यालय हाजा ।
10. लेखा शाखा ।
11. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कलाली पंचायत समिति रोहट जिला पाली

09/10/2020

न्यायालय खनि अभियंता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग
ओ/सोजत सिटी जिला पाली

प्रपत्र सं 4

विक्रय की उदघोषणा

(देखिए नियम 29 व 54)

न्यायालय खनि अभियंता (वसूली) खान एवं भू विज्ञान सोजत सिटी जिला पाली

दिनांक 16-10-2020

कमांकः—खअ/सोजत/वसूली/2019/648

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (राजस्थाान एक्ट 15 आफ 1956 की धारा 230/235/237 के अधीन चूक करने वाले **मैसर्स सुगना ब्रिक्स प्रो. श्रीमती सुगणा देवी पत्नि श्री हीराराम निवासी 54, चौधरियों का बास केरला निवासी तहसील व जिला पाली** द्वारा देय राजस्व लगाान कि बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनूसूची मे बताया गया है वसूल करने के लिए सलंग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई संपंती के विक्रय के लिए इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई। विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची मे बताये गए समूहो (लाटस) मे संपंति का विक्रय किया जायेंगा।

स्थान की आज्ञा के अभाव मे विक्रय **श्री स्वरूप सिंह गेहलोत, सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भुविज्ञान विभाग सोजतसिटी** (अधिकारी का नाम बताया जाय) के द्वारा दिनांक **18.11.2020** को **प्रातः :— 11:00 AM ग्राम पंचायत भवन परिसर ग्राम पंचायत केरला** (विक्रय का स्थान बताया जाय) मे किया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो ब्यक्तिगत रुप से या किसी यथा विधी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगााने के लिए आमंत्रित की जाती है। तथापि उपरोक्त चुक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी ना उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा दी गई स्पष्ट अनुमती के बिना बंध होगा।

विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैः—

1. निम्नलिखित अनुसूची मे निर्दिष्ट ब्यौरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गए है। परंतु इस उदघोषणा मे कोई ऋुटि गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय का उतरदायी नही होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढाई जायेगी विकय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी बोली की रकम या बोली लगाने वाले के संबंध मे किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा मे लाट को तुरंत नीलाम के लिए फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे उची बोली लगाने वाला किसी भी लाट का खरिददार घोषित किया जायेगा किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि बोली लगाने के लिए बंधिक रुप से योग्य हो। और यह भी शर्त है कि सबसे ऊंची बोली को मंजूर करने से इन्कार करना उस हालत मे न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा जब कि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रुप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित होगा।
4. सदैव कोड ऑफ सिवील प्रोसीजर के ऑर्डर 21 नियम 9 के प्रावधानो के अधिन अधिलिखित कारणो से विक्रय को स्थापित करना, विक्रय रिने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल संपति की दशा मे प्रत्येक लाट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने के तुरंत पश्चात चुका दिया जायेगा और भूगतान न करने पर संपति पर फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल संपति की दशा मे खरिददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात उसके ऋणमूल्य की रकम का 25 प्रतिशत विक्रय करने वाले अधिकारी के पास तुरंत जमा करा देगा और इस प्रकार न जमा कराने पर उस पर तुरंत फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय मे होने वाले खर्चे के लिए तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य मे होने वाली किसी कमी के लिए उतरदायी होगा जो कि उससे इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह राजस्व की बकाया हो।

   (ख) खरिददार द्वारा कय मूल्य की पूरी रकम संपति के विक्रय के प्श्चात पन्द्रहवे दिन न्यायालय बंद होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी जिसमे वही उिन शामिल नही होगा या पन्द्रहवें दिन रविवरी या अन्य छुटटी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के प्श्चात न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा कर दी जायेगी।

   (ग) अनुमत अवधि मे कय मूल्य की शेष रकम का भुगतान नही किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात संपति फिर से बेची जायेगी। विक्रय खर्चा निकालने के प्श्चात जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो किसी भी भाग पर जिसके लिए वह फिर से बेची जाय समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विकय की आय ऐसे दोषी खरिददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उसके इस प्रकार वसूल किया जायेगा कि जैसे वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारो से मूक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के संबंध मे खरिददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा पहले से की गई समस्त संविदाए नीलाम द्वारा किये जाने वाले विकय के समय खरिदने वाले के विकल्प पर शुन्य करणीय समझी जावेंगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) मे नीहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिए लागू नही होगी जो कि रहने के मकानो या फैक्ट्रीयो के निर्माण के लिए या बागो,तालाबो,नहरो, पूजा के स्थानो या श्मशान भूमियो या कब्रिस्तानों के लिए अस्थाई या स्थाई वास्तविक पटटों के अधीन धारणा की जा रही हो ऐसी भूमि ऐसे पटटों में निर्विष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी ।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार विकय किये जा चुकने से पूर्व किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि के धारक द्वारा जिसके मार्फत वह भूमि धारक अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विकय किया जाय जैसा कि सरकार उचित समझे ।

अनुसूची – वसूली की जाने वाली रकम

1.	राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम	बकाया राशि रू. 1,67,79,900/–
2.	कुर्की का खर्चा	10/–
3.	विकय का , यदि सम्पति नीलाम नही की गई है तो अमीन की प्रति नियुक्ति का खर्चा	2000/–
	योग :–	1,67,81,910 /–

बेची जाने वाली सम्पतिः–

खाते दारी जमीन की सं.	बेची जाने वाली सम्पति का विवरण	राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विकय की दशा में निर्धारित राजस्व	भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण (तुलनार्थ देखिये राज. एक्ट 15 आफ 1956 की धारा 236 की उप धारा (3)	दावे यदि कोई जो कि सम्पति के सम्बन्ध में रखें गयें हो और उसकी किस्म तथा मूल्य के सम्बन्ध में कोई भी अन्य ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
1	खसरा संख्या 166 क्षैत्रफल 20. 09 बीघा	1,67,81,910 /–	–	–

आज दिनांक 16 अक्टुम्बर 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर युक्त जारी की गई ।

क्रमांक खअ/सोजत/वसूली / 2019/649-662 दिनांक 16-10-2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली ।
2. श्रीमान वित्तिय सलाहाकार महोदय निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर ।
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर ।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड कार्यालय **पाली** जिला पाली ।
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय **पाली** जिला पाली ।
6. श्रीमान् विकास अधिकारी, पंचायत समिति पाली जिला पाली।
7. श्रीमान् थानाधिकारी, पुलिस थाना रोहट जिला पाली
8. सहायक खनि अभियंता(सत.) खान एवं भू विज्ञान विभाग सोजत सिटी।
9. ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच ग्राम पंचायत केरला तहसील पाली जिला पाली।
10. पटवार हल्का **केरला तहसील पाली जिला पाली ।**
11. **मैसर्स सुगना ब्रिक्स प्रो. श्रीमती सुगणा देवी पत्नि श्री हीराराम निवासी 54, चौधरियों का बास केरला निवासी तहसील व जिला पाली**
12. पुलिस थाना रोहट ।
13. खनि कार्यदेशक कार्यालय हाजा।
14. लेखा शाखा ।

16-10-2020

न्यायालय सहा. खनि अभियंता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग
सोजत सिटी जिला पाली ।

16/10/2020